भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

गृह (पुलिस) विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 1988

क्र. एफ-3-1-88-बी (1)-दो.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा में भरती से संबंधित नियम बनाते हैं; अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 है.

(2) ये नियम, "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.--इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है संचालक, चिकित्सा विधिक संस्थान;

(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश की सरकार;

(ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ङ) "अनुसूचित जातियों" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उनमें के समूह जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन, मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(च) "अनुसूचित जनजातियों" से अभिप्रेत है कोई जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उनमें के समूह जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन, मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(छ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(ज) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा.

3. व्याप्ति और लागू होना.--मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. सेवा का गठन.--सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:--

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से धारण कर रहे हों,

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.--सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उनसे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होंगे:

परन्तु सरकार, समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. भरती की पद्धति.--(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित पद्धति से की जायगी, अर्थात्:--

(क) चयन करके सीधी भरती द्वारा,

(ख) पदोन्नति द्वारा,

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो ऐसे पद ऐसी सेवाओं में, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये, मूल रूप से धारण करते हों.

(2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाए गए प्रतिशत से, किसी भी समय, अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में ऐसी किसी विशिष्ट रिक्ति या किन्हीं रिक्तियों को, जिसका या जिनका कि भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित है, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाई जाने वाली भरती की पद्धति या पद्धतियों तथा प्रत्येक पद्धति से भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(4) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकता के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह सामान्य प्रशासन विभाग की (प्रशासकीय विभाग के मार्फत्) पूर्व सहमति से सेवा में भरती की ऐसी पद्धतियां, जो उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट भरती की पद्धतियों से भिन्न हों, जैसा कि वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे, अपना सकेगा.

7. सेवा में नियुक्ति.--इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और कोई ऐसी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती की पद्धतियों में से किसी पद्धति द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाए गी, अन्यथा नहीं,

8. सीधी भरती के लिए पात्रता की शर्तें.—चयन किए जाने हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(1) आयु.—(क) चयन प्रारंभ होने की तारीख से आगामी एक जनवरी को उसने अनुसूची 3 के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूर्ण न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो उच्चतम आयु सीमा अधिक, से अधिक 5 वर्ष तक शिथिल की जायेगी.

(ग) ऐसे अभ्यर्थियों के, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, मामले में भी, उच्चतम आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये शिथिल की जायेगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण किए हुये और अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो तो 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी है, अपनी आयु में से, उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं की हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा; बशर्ते कि परिणामिक आयु अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" किसी ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक रह चुका हो और जिसे स्थापना में कमी की जाने के कारण, रोजगार कार्यालय में उसके रजिस्ट्रीकरण की या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन किया जाने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व सेवोन्मुक्त कर दिया गया था.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते परिणामिक आयु अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" किसी ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रह चुका हो और जिसकी मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप्या स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण किसी भी रोजगार कार्यालय में उस के रजिस्ट्रीकरण की या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन किया जाने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व छटनी कर दी गई हो या जिसे अधिविष्ट घोषित कर दिया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो मास्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन मुक्त किये गये हैं.

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भरती किया गया है और जिन्हें —

(क) अल्पावधि के वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भरती की शर्तें पूर्ण कर लेने पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया है.

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी.

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में रजिस्टर कमीशन अधिकारी भी आते हैं, जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया है.

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इसी आधार पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया है कि उनका दक्ष सिपाही बनना सम्भव नहीं है.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें, सेवा से असमर्थ घोषित कर दिया गया है.

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने के, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है.

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश राज्य के निगमों/मण्डलों के कर्मचारी हों, के मामले में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिल की जायेगी.

(ङ) विधवा अभ्यर्थियों के लिये सामान्य उच्चतम आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी.

(च) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन हरा कार्ड (ग्रीन कार्ड) धारण करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उच्चतम आयु सीमा को दो वर्ष तक के लिये शिथिल किया किया जायेगा.

(छ) आदिमजाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत किसी दम्पत्ति में से सवर्ण पति/पत्नी की दशा में उसके सम्बन्ध में सामान्य उच्चतम आयु सीमा को 5 वर्ष तक के लिये शिथिल किया जायेगा.

(ज) विक्रम पुरस्कार विजेता खिलाड़ी अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतम आयु सीमा को पांच वर्ष तक के लिये शिथिल किया जायेगा.

(झ) व्हालन्टरी होमगार्ड, तथा होमगार्ड के नान-कमिशन्ड आफिसर्स के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा में 8 वर्ष की अवधि तक, परन्तु उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक न हो, के लिये सामान्य उच्चतम आयु सीमा को शिथिल किया, जावेगा.

टिप्पणी:— उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु में रियायत के अधीन चयन के लिये ग्राह्य किया गया है, उस स्थिति में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी. यदि वे आवेदन करने के पश्चात् या तो चयन के पूर्व या बाद में सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं. तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी कर दी जाये तो वे नियुक्ति के लिये पात्र बने रहेंगे. किसी भी अन्य दशा में ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जायेंगी. विभागीय अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे चयन के लिये उपस्थित होने हेतु नियुक्ति अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करें.

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं.— उसके पास सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हताएं, जो अनुसूची तीन में दर्शाई गई हैं, होनी चाहिए:

परन्तु—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी, आपवादिक मामलों में, चयन समिति की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिससे की नियुक्ति प्राधिकारी की राय में अभ्यर्थी के चयन के लिये विचार किया जाना न्यायोचित हो; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों के, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने, विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, डिग्री प्राप्त की है, चयन के लिए भी विचार किया जाना च न समिति के विवेक पर होगा.

(तीन) फीस— उस नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का संदाय करना होगा.

9. निरर्हता:—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी प्रयत्न के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह ठहराया जा सकेगा कि यह उसे चयन के लिए निरर्हित बनाता है.

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा. चयन हेतु किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा. तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी का जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा.

11. चयन द्वारा सीधी भरती.— (1) सेवा में भरती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर किया जाएगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करें.

(2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा उनके साक्षात्कार के पश्चात् किया जायेगा.

(3) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्त पदों का 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत उन अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रहेगा जो क्रमश: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों के नाम पर जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उस क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें नियम 12 में विनिर्दिष्ट सूची में उनके नाम आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका आपेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों को, जिनका चयन समिति द्वारा प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होने के आधार पर चयन किया गया है, उप नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां अनन्य रूप से इन अभ्यर्थियों के लिए पुन: विज्ञापित की जाएंगी. यदि पुन: विज्ञापित करने के पश्चात् भी कुछ रिक्तियां भरना शेष रह जाएं तो वे सामान्य अभ्यर्थीयों में से भरी जाएंगी तथा पश्चातवर्ती चयन के दौरान, उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखी जाएंगी :

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (जिनमें अग्रनीत की गई रिक्तियां भी सम्मिलित हैं) किसी भी समय, विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के पैंतालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

12. चयन समिति द्वारा तैयार की गई अभ्यर्थियों की सूची.— (1) चयन समिति, ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें ऐसे स्तर से, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे, अर्हता प्राप्त हो तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थियों की जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हो, किन्तु प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किये गये हों, गुणानुगुण के क्रम में एक सूची तैयार करेगी. वह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जायगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अभ्यर्थियों के नाम पर उपलब्ध रिक्तियों में नियुक्ति के लिए उस क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हैं.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक नहीं प्रदान करता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसे जांच करने के पश्चात्, जो कि वह आवश्यक समझें, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें अनुसूची-चार में वर्णित सदस्य होंगे.

(2) समिति सामान्यत: एक वर्ष के लिए अनधिक के अंतरालों पर अपनी बैठक करेगी.

(3) ऐसे पदों में, जिसमें पदोन्नति की प्रतिशतता $33\frac{1}{3}$ या उससे अधिक हो, जैसा कि अनुसूची-2 में यथा विनिर्दिष्ट है, पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों का, 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत क्रमश: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों के लिए आरक्षित होगी, जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के पात्र हों.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति के करने की प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.

14. पदोन्नति के लिए पात्रता सम्बन्धी शर्तें.—(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को, उन पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी है, उसने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जैसा कि अनुसूची 4 के कालम (3) में वर्णित है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप नियम (दो) के उपबन्धों के अनुसार विचारण के क्षेत्र (जोन आफ कन्सीडरेशन) के भीतर आते हों :

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति के संबंध में, इस आधार पर कि उसने विहित सेवा पूर्ण कर ली है उससे वरिष्ठ व्यक्ति से अधिमान देकर प्रवर श्रेणी/पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जावेगा.

(2) चयन का क्षेत्र, गुणानुगुण तथा वरिष्ठता (मेरिट-कम-सीनियरिटी) के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या के सामान्यत: सात गुना, तथा वरिष्ठता तथ गुणानुगुण (सीनियरिटी-कम-मेरिट) के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किये जान वाले अधिकारियों की संख्या के पांच गुना तक सीमित होगा :

परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित किये गये, क्षेत्र में, उपयुक्त कर्मचारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हो तो समिति, उस क्षेत्र को उस सीमा तक, जहाँ तक कि वह आवश्यक समझे, लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए बढ़ा सकेंगे.

15. उपयुक्त कर्मचारियों की सूची का तैयार किया जाना.—(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की, जो उपरोक्त नियम (14) में विहित शर्तों को पूरा करते हों, तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति हेतु उपयुक्त ठहराये गये हों, एक सूची तैयार करेगी. यह सूची, चयन सूची तैयार की जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को समाविष्ठ करने के लिए पर्याप्त होगी. एक आरक्षित सूची भी, जिसमें उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्ति होंगे, उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की जायेगी.

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन, वरिष्ठता पर सम्यक् ध्यान देते हुए, गुणानुगुण तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम, ऐसी चयन सूची तैयार करते समय अनुसूची 4 के कालम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखें जायेंगे :

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में असाधारण गुणागुण तथा उपयुक्तता रखता हो, सूची में उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में ऊपर स्थान दिया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण:—ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है, किन्तु जिसे सूची में विधिमान्य रहने के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया है, उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन्हें पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया हो, वरिष्ठता का दावा केवल उसके पूर्ववर्ती चयन के तथ्य से ही नहीं कर सकेगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण करना प्रस्तावित किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी.

16. चयन सूची.—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर प्राप्त अन्य दस्तावेजों सहित विचार करेगा और जब तक कि वह कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, सूची अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है, तो वह वैसा कर सकता है और सूची को ऐसे उपांतरणों, यदि कोई हो, के साथ जो उसकी राय में न्याय संगत तथा उचित हो, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित सूची पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यत: तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उप नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाता, किन्तु उस के विधिमान्यता उसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि से आगे नहीं बढ़ाई जायेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति के आचरण में या उसकी ओर से कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, सरकार के अनुरोध पर सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा तथा समिति, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.––चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के अन्तर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जायगी, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में हों :

परन्तु जहां प्रशासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित न हो या जिसका नाम चयन सूची में अगले क्रम पर न हो उस दशा में सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा जबकि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि रिक्ति की तीन माह से अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है.

18. परिवीक्षा.––सेवा में सीधे भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

19. निर्वचन.––यदि इन नियमों के निर्वचन क संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

20. शिथिलीकरण.––इन नियमों में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्यपाल की, किसी व्यक्ति के मामले जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति में कार्यवाही करने की, उन्हें न्यायासंगत है और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु किसी मामले में ऐसी किसी रीति में, जो इन नियमों में उपबंधित से उसके लिये कम अनुकूल है, कार्यवाही नहीं की जायेगी.

21. व्यावृत्ति.––इन नियमों की कोई भी बात आरक्षण तथा अन्य शर्तों को, जिसका अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये उपबंध किया जाना इस निमित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश के अनुसार अपेक्षित हो, प्रभावित नहीं करेगी.

22. निरसन तथा व्यावृत्ति.––इन नियमों के तत्स्थानी ऐसे समस्त नियम जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्‌द्वारा, निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों क अधीन दिये किसी आदेश य की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया था या की गई थी.

गृह (पुलिस) मेडिको लीगल

अनुसूची–1

(नियम 5 देखिये)

अनुक्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1	शीघ्रलेखक	02	तृतीय श्रेणी	रुपये 1290––2040. विशेष वेतन रु. 60 प्रतिमाह
2	रोकड़िया	01	,,	रुपये 1260––1860.
3	उच्च श्रेणी लिपिक	01	,,	रुपये 1260––1860.
4	भण्डारी (स्टोरकीपर)	01	,,	रुपये 975––1650.
5	निम्न श्रेणी लिपिक	02	,,	रुपये 870––1420.
6	फोटोग्राफर (श्रेणी-दो)	01	अलिपिकीय वर्गीय तृतीय श्रेणी	रुपये 1290––2040. विशेष वेतन रु. 60 प्रतिमाह.
7	प्रयोगशाला तकनीशियन	04	,,	रुपये 1200––1800. विशेष वेतन रु. 40 प्रतिमाह.
8	प्रयोगशाला सहायक	04	,,	रुपये 870––1420. विशेष वेतन रु. 40 प्रतिमाह.
9	चालक (ड्राईवर)	02	,,	रुपये 870––1420.

अनुसूची—2

(नियम 6 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा तथा पदों का नाम	कुल कर्तव्य पद	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			अभियुक्ति
			सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	लिपिक वर्गीय					
गृह (पुलिस) विभाग, मेडिकोलीगल इन्स्टीट्यूट.	चिकित्सा विधिक (मेडिकोलीगल) अराजपत्रित सेवाएं:—					
	1. शीघ्रलेखक	02	..	100%	..	यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सचिवालय से, या अन्य विभागों से स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा.
	2. रोकड़िया	01	..	100%	..	(1) संस्थान में कार्यरत भण्डारी को जिसे 5 वर्ष का संस्थान के कार्य का अनुभव हो तथा राज्य लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की हो. (2) यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो अन्य विभागों के लेखापाल के पद पर कार्यरत ऐसे व्यक्ति के स्थानान्तरण द्वारा, जिसे लेखा एवं रोकड़ कार्य का 5 वर्ष का अनुभव हो तथा राज्य लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की हो.
	सहायक ग्रेड-2 3. उच्च श्रेणी लिपिक	01	..	100%	..	यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो अन्य विभागों से स्थानान्तरण द्वारा.
	4. भण्डारी	01	..	100%	..	यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो अन्य विभागों से स्थानान्तरण द्वारा.
	सहायक ग्रेड-3 5. निम्न श्रेणी लिपिक	02	..	100%	..	व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा मण्डल द्वारा चयन के आधार पर सीधी भरती.
	अलिपिकीय वर्गीय					
	6. फोटोग्राफर	01	..	100%	..	यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो अन्य विभागों से या अध्यापन संस्थाओं से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	प्रयोगशाला तकनीशियन	04	..	100 प्रतिशत	..	यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो अन्य संस्थाओं से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन के आधार पर सीधी भरती.
8.	प्रयोगशाला साहयक	04	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	..	यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो अध्यापन संस्थाओं से स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल द्वारा चयन के आधार पर सीधी भरती.
9.	वाहन चालक (ड्राईवर)	02	100 प्रतिशत	..	..	यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो अन्य विभागों से स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा.

अनुसूची 3

(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	अर्हता	अनुभव	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गृह (पुलिस) विभाग	मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक (मेडिकोलीगल) (अराजपत्रित सेवा)					
	1. शीघ्रलेखक	18 वर्ष	30 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा और किसी मान्यता प्राप्त शीघ्र-लेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी का शीघ्रलेखन प्रमाण-पत्र.		
	सहायक ग्रेड-3 2. निम्न श्रेणी लिपिक	तदेव	तदेव	उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी तथा अंग्रेजी मुद्रलेखन प्रमाण-पत्र.	इसके अलावा कम्प्यूटर चालन से संबंधित पूर्व अनुभव अथवा संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक	
	3. फोटोग्राफर	तदेव	तदेव	स्नातक तथा फोटोग्राफी में पत्रोपाधि.	फोटोग्राफी के कार्य का लगभग 5 वर्षों का अनुभव जिसमें 3 वर्षों का अनुभव, विज्ञान के क्षेत्र में फोटोग्राफी का हो.	
	4. प्रयोगशाला सहायक	तदेव	तदेव	वनस्पतिशास्त्र/प्राणीशास्त्र/रसायनशास्त्र विषय के साथ उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा.	प्रयोगशाला कार्य के लिये रुझान होना चाहिये.	
	5. वाहन चालक (ड्राईवर)	तदेव	तदेव	आठवीं कक्षा. उसके पास हल्के तथा मध्यम वाहन के लिये चालक का वैध लायसेन्स होना चाहिये.		

अनुसूची 4

(नियम 14 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नत की जानी है.	उस पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जानी है	कालम (2) में दर्शाए गये पद पर सेवा के वर्षों की संख्या	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
गृह (पुलिस) विभाग				
	1. प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला तकनीशियन	5 वर्ष	1. संयुक्त सचिव गृह विभाग—अध्यक्ष.
	2. प्रयोग शाला परिचारक (चतुर्थ श्रेणी)	प्रयोग शाला सहायक	5 वर्ष	2. सीनियर फोरेन्सिक स्पेशलिस्ट—सदस्य.
	3. भण्डारी	उच्च श्रेणी लिपिक	5 वर्ष	3. प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य.
	4. निम्न श्रेणी लिपिक	भण्डारी	5 वर्ष	
	5. भण्डारी	रोकड़िया	5 वर्ष	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, संयुक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 1988

क्र. एफ-3-1-88-बी(1)दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-1-88-बी(1)-दो, दिनांक 15 जुलाई 1988 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, संयुक्त सचिव.

Bhopal, the 15th July 1988

No. F. 3-1-88-B(I)-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh Medico-legal Class III (Non-Gazetted) Service.

1. **Short title & Commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Medico-legal Class III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradeesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Director of Medico-legal Institute, Bhopal, Madhya Pradesh ;

(b) "Government" means the Government of Madhya Pradesh ;

(c) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh ;

(d) "Schedule" means a schedule appended these rules ;

(e) "Scheduled caste" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as scheduled castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the constitution of India ;

(f) "Scheduled Tribes" means any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India ;

(g) "State" means the State of Madhya Pradesh ;

(h) "Service" means the Madhya Pradesh Medico-legal Class III (Non-gazetted) Service.

ाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा ाधिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, १९८८ निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

१. अनुसूची-१ में, अनुक्रमांक १ को अनुक्रमांक १(क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित अनुक्रमांक के पूर्व निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

)	(२)	(३)	(४)	(५)
	कार्यालय अधीक्षक	०१	लिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी	रु. १६४०–६०–२६००–७५–२९००

२. अनुसूची-२ में, कालम (२) में, अनुक्रमांक १ को अनुक्रमांक १ (क) के रूप में पुर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित अनुक्रमांक के पूर्व निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
कार्यालय अधीक्षक	०१	—	१०० प्रतिशत	—	यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सचिवालय या अन्य विभाग से स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा.

३. अनुसूची-४ में कालम (२) के अनुक्रमांक १ को अनुक्रमांक १ (क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाये और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित अनुक्रमांक के पूर्व निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(२)	(३)	(४)	(५)
उच्च श्रेणी लिपिक/रोकड़िया	कार्यालय अधीक्षक	५ वर्ष	—

No. F-7-2-94-B-2-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh, Medico Legal Class III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rues, 1988, namely :—

Amendments

In the said rules,—

1. In Schedule I, the serial number 1 shall be re-numbered as serial No.1 (a) and before the serial number as so re-numbered, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Office Superintendent	1	Ministerial class III	Rs. 1640-60-2600-75—2900

2. In Schedule II, in column (2), the serial number 1 shall be re-numbered as serial number 1 (a) and before the number as so renumbered, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Office Superintendent	01	—	100%	—	If suitable candidates are not available, then by transfer or deputation from secretariate or othe Department

3. In Schedule IV, the serial number 1 of column (2) shall be renumbered as serial number 1(a) and before the number as so re-numbered the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Upper Division Clerk/ Cashier	Office Superintendent	5 years	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्नेहलता श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—१९९४.

भोपाल, दिनांक ३० दिसम्बर १९९३

एफ.१३-३१-९३-उन्तीस-२.— भारत के संविधान के ...छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग ... समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक ३० दिसम्बर १९९३ ... अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा ...शित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सी. रेजा, उपसचिव.

Bhopal, the 30th December 1993

No. F-13-31-93-XXIX-2.—In exercise of the powers ...onferred by the proviso to Article 309 of the ...onstitution of India, the Governor of Madhya Pradesh ...ereby makes the following further amendment in the ...Madhya Pradesh Weights and Measures (Gazetted) ...Service Recruitment Rules, 1975, namely :—

Amendment

In the said rules, in Schedule III, in column (6) for the entries "Atleast Graduate from recognised University," the following entries shall be substituted, namely :—

"(a) should be a graduate from a recognised University in science (with physics as one of the subjects) or Technology or Engineering, and

(b) should have studied through Hindi medium upto Higher Secondary stage or equivalent level thereof or should have offered Hindi as one of the main subjects at the said stage.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

M.C. REJA, Dy. Secy.

परिवहन विभाग

भोपाल, दिनांक १ जनवरी १९९४

क्र. एफ-१-१४४-९०-आठ.— भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग (लिपिक वर्गीय सेवा तृतीय श्रेणी) भरती नियम, १९७४ में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-दो में, कालम (२) में अनुक्रमांक (६) के सामने —

"(एक) कालम (४) में अंक "२५" लोप किए जाएं;

(दो) कालम (५) में अंक "७५" के स्थान पर अंक "१००" स्थापित किए जाएं".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मंडलेकर, उपसचिव.

भोपाल, १ जनवरी १९९४

क्र. एफ-१-१४४-९०-आठ.— भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक १ जनवरी १९९४ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के मंडलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 1st January 1994

No. F-1-144-90-VIII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Transport Department (Ministerial Services-class III) Recruitment Rues, 1974, namely :—

Amendment

In the said rules,—

In the Schedule II, in column (2) against the serial number (6)—

" (i) in column (4) the figure "25" shall be omitted;

(ii) in column (5) for the figure "75" the figure " 100" shall be substituted."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

A. K. MANDLEKAR, Dy. Secy.

गृह (पुलिस) विभाग

भोपाल, दिनांक १८ फरवरी १९९४

क्र. एफ ७-२-९४-ब-२-दो.— भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में

भाग 4 (ग) ...
लाते हुए ...
विधिक तृतीय
में निम्नलिखि...
उक्त नि...
१. ...
(१) (२...
१. क...
(१)
१.